रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 1985/कार्तिक 29, 1907
No. 230] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 1985/KARTIKA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

शुद्धिपत्र

स 13018/3/84-अ.भा.से. (I):—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I खंड 1 में 8 दिसम्बर, 1984 को अधिसूचना स 13018/3/84-अ भा.से (1), दिनांक 8-12-84 के अधीन प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 1985 के परीक्षा नियमों में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम 2 प्रतिस्थापित कर दिया जाए.

"2 उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के लिए अपने आवेदन-पत्र में ऐसी विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अपना वरीयताक्रम निर्दिष्ट करना होगा, जिनके लिए वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु सिफारिश किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

जो उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए विचार किए जाने का इच्छुक है, उसे अपने आवेदन पत्र में यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या वह भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति की स्थिति में अपने ही राज्य में आबंटन कराना चाहेगा।

उम्मीदवार ने जिन सेवाओं के संबंध में अपनी वरीयताएं दी है उनमें संशोधन करने अथवा परिवर्तन करने के लिए कोई भी अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अनुरोध सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 10 दिन के भीतर (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल तथा स्पीति जिला, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में 17 दिन के भीतर) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में नहीं पहुंच जाता। जब

उम्मीदवारो ने एक बार अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो उसके बाद विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी वरीयता संशोधित करने के लिए आयोग से अथवा भारत सरकार से कोई भी पत्र नही भेजा जाएगा ।

टिप्पणी —उम्मीदवारो को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र मे सभी सेवाए/पदो के बारे मे अपनी वरीयताओ का क्रम निर्दिष्ट करें। यदि वे किसी सेवा/पद के लिए वरीयता नही देता है अथवा आवेदन-पत्र मे कतिपय सेवाओ/पदो को शामिल नही करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने उन सेवाओ/पदों के लिए कोई विशिष्ट वरीयता नही दी है और उस स्थिति मे उसका आबटन किसी ऐसी शेष सेवा/पद मे कर दिया जाएगा जिसमे उम्मीदवारो द्वारा दी गई वरीयताओ के अनुसार उनका आबटन करने के बाद रिक्तियां बच जाती है । ऐसा आबटन करते समय उम्मीदवारो के मामले पर सबसे पहले समूह 'क' सेवा/पद के लिए और बाद म समूह 'ख' सेवा/पद के लिए विचार किया जाएगा ।"

बाबू जैकब, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 20th November, 1985

CORRIGENDUM

No. 13018|3|84-AIS(I).—The following Rule 2 may be substituted for Rule 2 in the Examination Rules of the Civil Services Examination Rules, 1985, published under Notification No. 13018|3|84-AIS(i), dated 8-12-1984 in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary dated 8-12-1984 .

"2. A candidate shall be required to indicate in his|her application form for the Main Examination his|her order of preferences for various services|posts for which he would like to be considered for appointment in case he is recommended for appointment by the Union Public Service Commission.

A candidate who wishes to be considered for IAS|IPS shall be required to indicate in his|her application if he|she would like to be considered for allotment to the State to which he|she belongs in case he|she is appointed to the IAS|IPS.

No request for revision, alteration or change in the preferences indicated by a candidate in respect of services for which he|she would like to be considered, would be considered unless the request for such revision, alteration or change is received in the Office of the U P.S.C. within 10 days from the date of publication of the final result of the Civil Services Examination in the Employment News (17 days in the case of candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahul & Spiti District of Himachal Pradesh, Andman & Nicobar Islands Lakshdweep and for candidates residing abroad). No communication from the Commission or from the Government of India would be sent to the candidates asking them to indicate their revised preferences for the various Services after they have submitted their application.

Note Candidate is advised to indicate all the services|posts in the order of preferences in his|her application form In case he|she does not give any preference for any service|post or does not include certain services|posts in the application form it will be assumed that he|she has no specific preference for those services|posts, and in that event he|she shall be allocated to any of the remaining services|posts in which there are vacancies after allocation of candidates according to the services|posts of their preferences In making such allocation the candidate shall be considered first for Group 'A' Service|post and then for Group 'B' Service|post."

BABU JACOB, Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985